राजस्व पुनिरिक्षण कमांक ..../16

प्रस्तुति दिनांक ..../01/16

मानननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प इन्दौर के समक्ष

1— भगवान पिता श्री होल्या भिलाला,
आयु 68 वर्ष, व्यवसाय कृषि

2— इडला पिता श्री होल्या भिलाला
आयु 66 वर्ष, व्यवसाय कृषि

3— थानसिंह पिता श्री होल्या भिलाला
आयु 64 वर्ष, व्यवसाय कृषि
सभी निवासी – ग्राम तलावडी
तहसील कुक्षी जिला धार म.प्र.

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 14/01/2016
को प्रस्तुत।

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

पुनरिक्षण कर्तागण

विरूद्ध

चतुरबाई पिता किशन (पति मगन) भिलाला
आयु 59 वर्ष, व्यवसाय कृषि
निवासी – ग्राम तलावडी
तहसील कुक्षी जिला धार म.प्र.

प्रतिप्रार्थिनी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. राजस्व भू–संहिता के तहत

पुनरीक्षिण कर्तागण की ओर निम्न प्रकार से निवेदन है कि :–

यह कि, प्रतिप्रार्थिनी की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत माननीय तहसीलदार महोदय तहसील कुक्षी जिला धार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । जिस पर से प्रकरण कमांक 29/अ–27/2013–14 दर्ज किया जाकर माननीय तहसील न्यायालय के समक्ष विचारणधीन होकर आदेश दिनांक 02.11.2015 से व्यर्थित होकर यह पुनरीक्षिण याचिका पुनरीक्षिण कर्तागण की ओर से निम्न तथ्यों पर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 368/पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	आवेदकगण अधिवक्ता श्री अजय कानूनगो तथा अनावेदक की ओर से श्री कैलाश पाटीदार, अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार के न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	